न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी : रघुनाथ (आर.ए.एस.)
अपील संख्या : 13/2016

1. चमेली पुत्री किशनदास पत्नी बृजमोहन जाति वैष्णव बैरागी निवासी नवलपुरा हाल प्रेमनगर, कोटा।
2. बदाम पुत्री किशनदास पत्नी हेमराज जाति वैष्णव बैरागी निवासी इन्द्रगढ़ जिला बूंदी।
3. गुड्डी पुत्री किशनदास पत्नी रामस्वरूप जाति वैष्णव बैरागी निवासी जमूलखेड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. संतरा पुत्री किशनदास पत्नी भानू कुमार जाति वैष्णव बैरागी निवासी नवलपुरा जिला बूँदी।

(अपीलाण्टान)

बनाम

1. धापू बेवा किशनदास जाति वैष्णव बैरागी निवासी कुश्तला जिला सवाई माधोपुर।
2. महावीरदास पुत्र किशनदास जाति वैष्णव बैरागी निवासी कुश्तला जिला सवाई माधोपुर।
3. विमलदास पुत्र किशनदास जाति वैष्णव बैरागी निवासी कुश्तला जिला सवाई माधोपुर।

(रेस्पोण्डेन्ट्स)

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 20.6.2001
ग्राम कुश्तला तह. व जिला सवाई माधोपुर

उपस्थिति अभिभाषकगण
श्री पारस मल जैन एडवोकेट अपीलाण्टान की और से
श्री विष्णु सोमानी एडवोकेट रेस्पोण्डेन्ट्स की और से

निर्णय

दिनांक 6.11.19

अपीलाण्टान द्वारा एक अपील नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 20.6.2001 ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलाण्टान मृतक किशनदास पुत्र गंगादास की पुत्रीयॉ है तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 1 मृतक किशनदास की पत्नी है तथा रेस्पोण्डेन्ट्स संख्या 2 एवं 3 मृतक किशनदास के पुत्र है तथा किशनदास के एक पुत्र कमलदास की मृत्यु हो चुकी है जिसके कोई वारिस नहीं है। अपीलाण्टान के पिता किशनदास का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके हिस्से की आराजीयात का नामान्तरकरण अपीलाण्टान के नाम किशनदास की पुत्रीयॉ होने के कारण उसके उत्तराधिकारी होने से खोला जाना चाहिये था किन्तु रेस्पोण्डेन्ट्स ने अपीलाण्टान का किशनदास की पुत्रीयॉ होने का तथ्य छिपाकर कतई गलत ढंग से नामान्तरकरण मृतक किशनदास की पत्नी तथा पुत्रों के नाम तस्दीक करा लिया जबकि नामान्तरकरण अपीलाण्टान के नाम भी होना चाहिये था जो नहीं कर नामान्तरकरण तस्दीक करने में गलती की है। अपीलाण्टान को उक्त

उप जिला कलेक्टर

नामान्तरकरण की जानकारी कभी नहीं हुई थी और न ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने अथवा पटवारी हल्का ने कोई सूचना दी और न ही अपीलाण्टान को बुलाया गया और न ही नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व नियमों की कोई पालना की गई। अपीलाण्टान के पिता किशनदास की हिस्से की आराजीयात में अपीलाण्टान के हिस्से की माल पैदावार का हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट्स द्वारा अपीलाण्टान को दिया जाता रहा इस कारण अपीलाण्टान को यह अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं था कि अपीलाण्टान का नाम नामान्तरकरण में नहीं लिखा गया हो। अपीलाण्टान रेस्पोण्डेन्ट्स के पास अपने हिस्से की माल पैदावार का हिस्सा रेस्पोण्डेन्ट्स के पास लेने के लिए दिनांक 28.8.16 को ग्राम कुश्तला में आई तो रेस्पोण्डेन्ट्स ने अपीलाण्टान को हिस्सा देने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा किशनदास की जमीन में कोई लेना देना अथवा हिस्सा नहीं है और न ही जमीन में तुम्हारा नाम है। जिस पर अपीलाण्टान ने सवाई माधोपुर आकर उक्त सम्बन्ध में जानकारी की तथा उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु तहसील सवाई माधोपुर में दिनांक 29.8.16 को आवेदन प्रस्तुत कराया कि जिस पर यह रिपोर्ट की गई कि उक्त नामान्तरकरण तहसील में उपलब्ध नहीं है। बल्कि जिला रिकॉर्ड में जमा है इस आक्षेप के साथ नकल का आवेदन निरस्त कर दिया। जिस पर अपीलाण्टान ने नकल हेतु जिला रिकॉर्ड में आवेदन प्रस्तुत कराया जिस पर यह रिपोर्ट की गई कि यह नामान्तरकरण जिला रिकॉर्ड में नहीं है बल्कि तहसील में ही है इस आक्षेप के साथ नकल का आवेदन निरस्त कर दिया। जिस पर अपीलाण्टान ने पुनः दिनांक 16.9.16 को तहसील सवाई माधोपुर में उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कराया जिस पर तहसील सवाई माधोपुर द्वारा उक्त नामान्तरकरण की नकल तैयार कराकर नकल दिनांक 21.9.16 को दी गई कि जिस दिन उक्त नकल प्राप्त होने पर अपीलाण्टान को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलाण्टान को उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण अपीलाण्टान की अपील बयोम इल्म दिनांक 21.9.16 से अंदर मिंयाद प्रस्तुत है। उक्त नामान्तरकरण कतई गलत ढंग से विधि एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत अपीलाण्टान को मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ होते हुए भी बिना सूचना दिये अपीलाण्टान के अधिकारों से वंचित करते हुए स्वीकार किया है कि जो नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है तथा अपीलाण्टान को भी मृतक किशनदास की उत्तराधिकारी वारिस होने के कारण अपीलाण्टान का नाम भी जोड़ा जाना आवश्यक है। अपीलाण्टान ने निवेदन किया कि अपीलाण्टान की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 20.6.2001 ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर निरस्त किया जाकर मृतक किशनदास के उत्तराधिकारी वारिस के रूप में अपीलाण्टान को भी दर्ज किया जावे तथा अपील के साथ धारा 5 मिंयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोण्डेन्ट्स की और से श्री विष्णु सोमानी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

बहस सुनी गई अपीलाण्टान के अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि अपीलाण्टान मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ है इस कारण उनका मृतक किशनदास की आराजीयात में हक एवं अधिकार है इस कारण अपीलाण्टान का नाम भी नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है तथा रेस्पोण्डेन्ट्स ने इस तथ्य को छिपाकर नामान्तरकरण कतई गलत ढंग से उनके स्वयं के नाम खुलवा लिया है कि जो विधि विरूद्ध है जिसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अंदर मिंयाद मानते हुए नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर रेस्पोण्डेन्ट्स के साथ अपीलाण्टान का नाम भी दर्ज करने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। रेस्पोण्डेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को तो स्वीकार किया गया है कि अपीलाण्टान मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ है किन्तु इस तथ्य से इंकार किया कि रेस्पोण्डेन्ट्स के द्वारा अपीलाण्टान के पुत्रीयॉ होने के तथ्य को छिपाया हो। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस का मनन करने के पश्चात यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि अपीलाण्टान मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ है तथा अपीलाण्टान का पुत्रीयॉ होने के कारण मृतक किशनदास की सम्पत्ति में अधिकार है और इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण जिसमें कि अपीलाण्टान का नाम मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ होते हुए भी दर्ज नहीं किया गया है जबकि अपीलाण्टान का नाम भी रेस्पोण्डेन्ट्स के साथ दर्ज किया जाना चाहिये था तथा अपील में वर्णित कथनों एवं धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना में अंकित तथ्यों का कोई खंडन नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 मिंयाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टान की अपील स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 382 दिनांक 20.6.2001 ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे मृतक किशनदास के वारिसान के रूप में अपीलाण्टान के नाम भी मृतक किशनदास की पुत्रीयॉ होने के कारण नाम दर्ज करते हुए पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 6.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

रघुनाथ (आर.ए.एस)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.12.26 11:59:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: